

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पंचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :-

श्री बदरी नाशायण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-

...../25 प्रार्थना पत्र



उनवान

1 हनुमान सहय पुत्र केजोड मज भीना जाति भीना निवासी करणगढ तहसील तुंगा जिला जयपुर (प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पंचवारा जिला दौसा।

—(अप्रार्थी)

उपस्थिति:- 1. श्री रमेश चन्द सैनी अधिवक्ता—(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थर गढी

(अं० धारा 128 एल आर एक्ट)

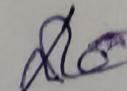
:: निर्णय ::

दिनांक:-16.06.2025

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख०नं० 1288/969 रकबा 0.0780 है०, भूमि वाकै ग्राम रामगढ पंचवारा तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थी की भूमि पर पड़ौसी खातेदारों से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुरोध चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि० एडी नोटिस जारी कर तलबी की गई। बाद तामिल उपस्थित नहीं। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट होने से तहसीलदार से वस्तुस्थिती की जाँच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कर रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 पत्र क्रमांक/एल०आर०/2024/1153 तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी ख०नं० 1288/969 रकबा 0.0780 है०, भूमि वाकै ग्राम रामगढ पंचवारा तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किये जाने की अभिशंका की है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम वस्तुस्थिती रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। आराजी ख०नं० 1288/969 रकबा 0.0780 है०, भूमि वाकै ग्राम रामगढ पंचवारा तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पंचवारा जिला-दौसा (रजि)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख0नं0 1288/969 रकबा 0.0780 है0, भूमि वाकै ग्राम रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता तहसील रामगढ पचवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थी से अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सीमावर्ती काश्तकारों को नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्राथीगण के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्मलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से सम्न्ध कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



बदरी नारायण मीना
(अमरगढ से) अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व

उच्चारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।